राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 815/2023

1. राजा राम पुत्र बंशी लाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम पल्ली द्वितीय, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर (राजस्थान)।

2. मनोज कुमार पुत्र लूना राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ नथवानिया, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

3. मदन लाल पुत्र ओम प्रकाश, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम खरसंडी ललनिया नाथ, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

4. करण वर्मा पुत्र जसवीर सिंह, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम 1 एम.एल. कालूवाला, तह सिल और जिला श्री गंगानगर (राज.)

5. अमित कुमार पुत्र बिपति राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ धरसोनी, तहसील धरसोनी, जिला भरतपुर (राज.)

6. गोरधन सिंह पुत्र रति राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी वीपीओ धौड़, तहसील और जिला भरतपुर (राज.)

7. शोभा कुमारी पुत्री दरब सिंह, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी लूलहारा पहाड़सर, तहसील और जिला भरतपुर (राज.)

8. कृष्णा पुत्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी चक 27 एम.एल. साजनवाला रिड़मलसर, तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज.)

9. रजनी पुत्री मोहर सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी वीपीओ पलका, तहसील नगर, जिला भरतपुर (राज.)

10. रविंदर बबल पुत्र सीता राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वीपीओ मालवानी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

11. नरेंद्र कुमार पुत्र कृष्णा देवी, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी सूरतपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

12. चंद्रभान पुत्र मक्खन सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी नगला कल्याण, तहसील उच्चैन, जिला भारापुर (राज.)

13. सौरव कुमार पुत्र कैलाश चंद, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ बेरी, तहसील एंडजिला भारापुर (राज.)

14. विश्वेंद्र सिंह पुत्र विपति राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ धरसोनी तहसील धरसोनी जिला भारापुर (राज.)

15. सौरव पुत्र हनुमान प्रसाद, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी रणजीतपुरा मोहनमगरिया, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग (प्रारंभिक), राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।

3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (राज.) कार्यालय पता- कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर (राज.) इसके अध्यक्ष के माध्यम से।

5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, विंग नं. 2, 1 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002, इसके सचिव के माध्यम से।

6. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई), कार्यालय पता- बी-22 कुतुब संस्थान क्षेत्र नई दिल्ली -110016 इसके सचिव के माध्यम से।

---प्रतिवादी

अन्य संबंधित मामलों के साथ-साथ
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8094/2023, 10682/2021,1393/2023, 1504/2023, 1518/2023, 1552/2023, 1601/2023, 2125/2023, 2291/2023,

2539/2023, 2647/2023, 4828/2023, 4850/2023, 4859/2023, 7040/2023, 8138/2023, 8151/2023, 9435/2023, 9721/2023, 9794/2023, 10109/2023, 10129/2023, 11418/2023।

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री मनोज भंडारी, वरिष्ठ वकील।

श्री सुशील बिश्नोई

श्री अनिल बिदान हालु

श्री अनिकेत तातेर

सुश्री सपना वैष्णव

श्री इंद्रजीत यादव

श्री वीएलएस राजपुरोहित

श्री विक्रम सिंह भाटी

श्री रामदीन चौधरी

उत्तरदाताओं के लिए: श्री विनित सनाढ्य

श्री प्रियांशु गोपा

श्री दीपक चांडक, एजीसी

श्री प्रतीक कुमार रोहिवाल

श्री मुकेश राजपुरोहित (आर-6)

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

01/05/2024

1. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता प्रतिवादियों को यह आदेश देने के लिए उचित निर्देश चाहते हैं कि वे विशेष शिक्षा में उनके डिप्लोमा को डिग्री के साथ मान्यता देकर शिक्षक ग्रेड III, लेवल-2 (विशेष शिक्षा) के पद पर प्रतिस्पर्धा/नियुक्ति के लिए पात्र मानें, जो दिनांक 16.12.2022 के विज्ञापन (अनुलग्नक-3) के अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप है।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 शिक्षक ग्रेड-III, लेवल-2 (विशेष शिक्षा) की भर्ती के लिए प्रतिवादी विभाग द्वारा

दिनांक 16.12.2022 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं के पास शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिप्लोमा के साथ स्नातक की डिग्री है और उनका दावा है कि वे शिक्षक ग्रेड III लेवल 2 के रूप में नियुक्ति के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, इसलिए, वे भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पात्र हैं। हालांकि, विज्ञापन में निर्धारित योग्यता उन्हें अयोग्य बनाती है।

2.2 एनसीटीई ने 29.12.2017 के अपने संचार के माध्यम से विशेष शिक्षा में डिप्लोमा की दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड) के साथ समकक्षता को स्वीकार करते हुए जानकारी भी प्रदान की, जो दर्शाता है कि विशेष शिक्षा में डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के बराबर है, बशर्ते नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त छह महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा किया जाए।

2.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों आदि को आरसीआई द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने का भी निर्देश दिया है, और ऐसी सिफारिशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के रूप में माना जाना चाहिए। आरसीआई की सिफारिश के अनुसार, याचिकाकर्ता शिक्षक ग्रेड-III लेवल 2 के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

2.4 परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता शिक्षक ग्रेड-III लेवल 2 की चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र थे/हैं। इसलिए, उन्हें 2016, 2018 और 2021 जैसी पिछली चयन प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता 31.12.2021 के विज्ञापन पर भी भरोसा करते हैं, जिसमें वही योग्यता निर्धारित की गई थी जो वर्तमान विज्ञापन दिनांक 16.12.2022 में है।

2.5 दिनांक 31.12.2021 के विज्ञापन के अनुसरण में, प्रतिवादी ने लेवल-2 शिक्षकों के लिए "प्रारंभिक शिक्षा (विशेष शिक्षा) में डिप्लोमा" की योग्यता भरने के लिए एक पोर्टल प्रदान किया था। हालाँकि, वर्तमान चयन प्रक्रिया में, प्रतिवादियों ने ऐसा कोई पोर्टल प्रदान नहीं किया। प्रतिवादियों के कार्यों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने उनसे संपर्क किया और अपनी शिकायतें उठाईं, लेकिन प्रतिवादियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने तत्काल रिट याचिका दायर की।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि तत्काल रिट याचिका में तथ्य उन लोगों के मामले से अलग हैं जिनके साथ वे समानता चाहते हैं। याचिकाकर्ता मानसिक मंदता और श्रवण दोष आदि जैसी विभिन्न विशेष शिक्षा श्रेणियों से संबंधित हैं। तत्काल रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा अब एकीकृत नहीं है और इसे सरिता शर्मा बनाम राजस्थान राज्य (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 20022/2012) में दिए गए निर्णय के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। हाल ही में यह मुद्दा उषा कुमारी (डी.बी.एस.एस.पी.एल. रिट संख्या 149/2022) के मामले में इस न्यायालय के समक्ष फिर से आया। इसलिए, उपरोक्त दो मामलों में निर्णयों के आलोक में तत्काल रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. वास्तव में, शुरू से ही, याचिकाकर्ताओं द्वारा जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसके गुण-दोष पर आगे कोई निर्णय लेने या प्रतिद्वंद्वी दावों पर कोई राय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लंबित रिट याचिका (सिविल) संख्या 132/2016 में दिनांक 10.06.2022 के आदेश के माध्यम से पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इससे संबंधित प्रासंगिक जानकारी नीचे दी गई है:-

> “हमारा ध्यान भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव द्वारा दिनांक 10.06.2022 को जारी किए गए संचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभाग द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करने के बारे में सूचित किया गया है और संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से उक्त निर्णय को सही गंभीरता से लागू करने और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2021 के निर्णय में दिए गए निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। संचार इस प्रकार है:
>
> “एफ.सं.3-5/2021-आईएस.18
>
> भारत सरकार
>
> शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 10 जून, 2022

सेवा में,

1. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव।

2. आयुक्त,

केंद्रीय विद्यालय संगठन

18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016

3. आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति,

बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201 307

विषय: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू.पी© 132/2016 शीर्षक रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में दिनांक 28.10.2021 के निर्णय का अनुपालन – के संबंध में।

महोदय/महोदया

मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू.पी.(सी) 132/2016 के दिनांक 28.10.2021 के निर्णय का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिसका शीर्षक रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य है, जिसमें केंद्र सरकार को विशेष विद्यालयों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात के मानदंड और मानकों को तत्काल अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है तथा विशेष शिक्षकों के लिए अलग मानदंड भी अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है, जो अकेले सामान्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

2. विशेष विद्यालय के लिए छात्र शिक्षक अनुपात **(**पीटीआर**)** के मानदंड और मानक तथा विशेष शिक्षकों के लिए अलग मानदंड भी**,** जो

अकेले सामान्य विद्यालयों में सीडब्ल्यूएसएन को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं, जैसा कि भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा अनुशंसित है। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीआईडी), भारत सरकार, को इस विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, और नीचे दिए गए विवरण दिए गए हैं

नियमित (समावेशी) विद्यालय के लिए छात्र शिक्षक (विशेष शिक्षा किरायेदार) अनुपात

<table>
<tr><th>स्तर</th><th></th><th>योग्यता</th><th>भर्ती प्रक्रिया</th><th>न्यूनतम संख्या विशेष शिक्षा शिक्षक)</th><th>अनुशंसित पीटीआर</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>आधारभूत चरण (प्री-स्कूल कक्षा 1 और 2)</td><td>प्राथमिक स्तर</td><td>1. आर.सी.आई. अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा में डी.एड. तथा वैध आर.सी.आई. सी.आर.आर. संख्या या</td><td rowspan="4">सीटीईटी/ टीईटी/एनटी स्कोर+कक्षा शिक्षण का प्रदर्शन+साक्षात्कार या भर्ती प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर उपयुक्त</td><td></td><td>10:1 (नामांकित विकलांग छात्र और विशेष शिक्षक)</td><td rowspan="4">विशेष शिक्षा शिक्षक की सेवा की उपलब्धता अनिवार्य होनी चाहिए, भले ही स्कूल में एक छात्र विकलांग हो।</td></tr>
<tr><td>तैयारी चरण (कक्षा 3 से 5)</td><td></td><td>डी.एल.एड.आरसीआई द्वारा अनुमोदित संस्थान से मान्यता प्राप्त योग्यता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा) के साथ विशेष शिक्षा में डी.एड. के समकक्ष और वैध सीआरआर संख्या
2. समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में शिक्षण का छह महीने का प्रशिक्षण (**)</td><td>एक (***)</td><td></td></tr>
<tr><td>मध्य चरण (कक्षा 6 से 8)</td><td rowspan="2">उच्च प्राथमिक +माध्यमिक + उच्च माध्यमिक</td><td rowspan="2">1. आर.सी.आई. द्वारा अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा में बी.एड. तथा वैध आर.सी.आई. और सी.आर.आर. संख्या या आर.सी.आई. द्वारा अनुमोदित संस्थान से मान्यता</td><td></td><td rowspan="2">15:1 (नामांकित विकलांग छात्र और विशेष शिक्षा शिक्षक)।</td><td></td></tr>
<tr><td>माध्यमिक चरण कक्षा 9 से 12)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		प्राप्त योग्यता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा) के साथ बी.एड., जो विशेष शिक्षा में बी.एड. के समकक्ष हो तथा वैध आर.सी.आई. सी.आर.आर. संख्या हो। 2. समावेशी शिक्षा में विकलांगों के बीच शिक्षण का छह महीने का प्रशिक्षण (**)				

xxxxxxxxxxxxxxx

4. उपरोक्त पैरा **2** के नोट **2 (#)** में निहित आरसीआई अनुशंसा के संबंध में**,** अर्थात **"**राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सामान्य शिक्षा शिक्षकों के लिए किए गए वेतन और सेवा शर्तों की समानता का पालन विशेष शिक्षा शिक्षकों के लिए किया जाना चाहिए**",** यह संबंधित राज्य सरकारों**/**संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से संबंधित है क्योंकि शिक्षा विषयों की समवर्ती सूची में है। इसलिए**,** राज्य सरकारें**/**संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सुनिश्चित कर सकते हैं।

8. राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक **28.10.2021** के निर्णय के आलोक में आगे आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं और **25** जून**, 2022** तक इस विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि यह विभाग भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत कर सके।

आपका आभार

(अनिल गैरोला)

भारत सरकार के अवर सचिव

ईमेल: iedeis18@gmail.com"

[जोर दिया गया]

इस संचार के हाइलाइट किए गए हिस्से को इस आदेश के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के रूप में माना जाना चाहिए। संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अगली तारीख से पहले सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।"

6. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से जारी किए गए स्पष्ट निर्देशों के मद्देनजर, इस स्तर पर यह निश्चित रूप से इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह यह तय करे कि एनसीटीई या आरसीआई याचिकाकर्ता की शैक्षणिक योग्यता की पात्रता निर्धारित करेगा या नहीं। उक्त मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। हालाँकि, इस बीच, उपरोक्त निर्देशों के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पात्रता मानदंड के बारे में अपने प्रशासनिक निर्णय पर पुनर्विचार करे, जिसे सभी उम्मीदवारों पर लागू किया जाना चाहिए, जो याचिकाकर्ताओं के समान स्थिति में हैं।

7. वास्तव में, इस स्थिति को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा बढ़ाया गया है, जिसकी अध्यक्षता मेरे विद्वान भाई दिनेश मेहता, जे. ने की, जो एकल पीठ के फैसले के लेखक थे, जिसे पहले उषा कुमारी में निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा बरकरार रखा गया था:

"1. विशेष शिक्षा में स्नातक और डिप्लोमा पूरा करने वाले याचिकाकर्ताओं ने इस मामले के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि उनके पास भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा जारी दिनांक 05.12.2006 (अनुलग्नक-8) के संचार के प्रकाश में अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है, साथ ही विज्ञापन संख्या 13/2022, दिनांक 16.12.2022 के खंड (6) के अनुसार भी।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सुशील बिश्नोई ने दावा किया है कि विशेष शिक्षकों के मामले में, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता या निकाले गए निष्कर्ष एनसीटीई द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के बावजूद बाध्यकारी हैं।

3. श्री बिश्नोई ने रिट याचिका सिविल संख्या 132/2016: रजनीश कुमार पांडे बनाम भारत संघ: 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिनांक 21.07.2022 की कार्यवाही की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित आदेश में, आरसीआई द्वारा जारी संचार/अधिसूचना को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्देश माना गया है और इस प्रकार, प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को शिक्षक ग्रेड- III लेवल- II विशेष शिक्षा के पद पर नियुक्ति दिए जाने के अधिकार से इनकार नहीं कर सकते, जब आरसीआई ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया डिप्लोमा सीटीटी पाठ्यक्रम के समकक्ष है।

4. प्रतिवादी - चयन बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री डी.एस. बेनीवाल ने उषा कुमारी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: डी.बी. में इस न्यायालय के दिनांक 14.12.2022 के खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया। विशेष अपील रिट संख्या 149/2022 पर विचार किया तथा प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे पर खंडपीठ द्वारा किए गए निर्णय के आलोक में मान्य नहीं हैं।

5. अंतरिम राहत प्रदान करने के संबंध में पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

6. प्रथम दृष्टया, श्री बेनीवाल की दलीलें सही प्रतीत होती हैं कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध इस मुद्दे का निर्णय खंडपीठ द्वारा दिनांक 14.12.2022 के अपने निर्णय द्वारा किया गया है, लेकिन फिर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 21.07.2022 का आदेश खंडपीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया प्रतीत होता है, जब उषा कुमारी (सुप्रा) के उपरोक्त संदर्भित मामले का निर्णय किया गया था।

7. प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें।

8. श्री डी.एस. बेनीवाल प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

9. शेष प्रतिवादियों को 22.02.2023 को वापस करने योग्य नोटिस जारी किए जाएं।

10. नोटिस दो सेटों में दाखिल किए जाएं, जिनमें से एक सेट स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेवा करने के लिए श्री बिश्नोई को दस्ती दी जाए।

11. इस बीच, प्रतिवादी चयन बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं को उनके ऑनलाइन/ऑफलाइन फॉर्म दाखिल करने की अनुमति दे, यदि वे 25.01.2023 तक जमा किए जाते हैं।

12. आवेदन पत्र जमा किए जाने पर, प्रतिवादी - चयन बोर्ड याचिकाकर्ताओं को प्रवेश पत्र जारी करेगा और उन्हें आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति देगा, हालांकि, उनका परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा।

8. मैं विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूँ।

9. याचिकाकर्ताओं के दावे के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से यह कहना पर्याप्त है कि, चूंकि प्रतिवादी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों से बंधे हुए हैं, इसलिए उन्हें सभी याचिकाकर्ताओं की संबंधित पात्रताओं पर विचार करना चाहिए तथा विशिष्ट कारण बताते हुए प्रत्येक याचिकाकर्ता के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ, याचिकाओं के इस समूह का निपटारा किया जाता है।

10. तदनुसार, प्रतिवादियों को तीन महीने की अवधि के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, जो सभी उम्मीदवारों के संबंध में लागू होगा।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।